



उत्तर प्रदेश भारत स्काउट आर गाइड

प्रादेशिक प्रधान केन्द्र, गोल मार्केट, महानगर लखनऊ

कब/बुलबुल (पैक/पलाक) स्काउट/गाइड (दल/कम्पनी) रोवर/रेजर (क्रू/टीम)
के पंजीकरण के लिए प्रार्थना-पत्र

प्रादेशिक प्रधान के पद पर हस्ताक्षर

पंजीकृत संख्या

यूनिट/ग्रुप का नाम

तिथि

जिला मण्डल.....

तिथि जब दल पहली बार प्रारम्भ किया गया

यूनिट/ग्रुप का पूरा नाम

यूनिट/ग्रुप का पता

यूनिट/ग्रुप स्वतंत्र है अथवा किसी स्कूल या संस्था से नियंत्रित है

यूनिट/ग्रुप के संचालक का नाम योग्यता मो0

संख्या

कब		स्काउट		रोवर		स्काउटर		योग
बुलबुल		गाइड		रेजर		गाइडर		

ह0 संस्था के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या अथवा ग्रुप कमेटी के प्रधान

ह0 यूनिट/ग्रुप का अधिकारी

हस्ताक्षर

जिला सचिव/जिला कमिश्नर (स्काउट/गाइड), संबंधित जनपद

चेक किया एवं सही पाया

स्वीकार किया

सहा0 प्रा0 संगठन कमिश्नर (स्काउट/गाइड)
संबंधित मण्डल

प्रादेश0 संगठन कमि0 (स्काउट/गाइड)

प्रादेशिक सचिव

निर्देश

- यह आवेदन-पत्र दो प्रतियों में भरा जायेगा और जिला संस्था के संबंधित अधिकारियों के हस्ताक्षर के उपरान्त पंजीकरण हेतु प्रादेशिक मुख्यालय भेजना होगा।
- प्रत्येक विश्वविद्यालय / महाविद्यालय को निम्नानुसार शुल्क जिला संस्था के पास जमा करना होगा:-

(दिनांक 31 मार्च 2019 तक प्रभावी)

- (1) क्रू/टीम पंजीकरण शुल्क - कुल रुपए 408.00 (रुपए 329/- प्रादेशिक अंश)
(प्रथम बार देय) (रुपए 79/- जिला संस्था अंश)
- (2) क्रू/टीम नवीनीकरण शुल्क - कुल रुपए 374.00 (रुपए 304/- प्रादेशिक अंश)
(पंजीकरण वर्ष के बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष में देय) (रुपए 70/- जिला संस्था अंश)

नोट : उपरोक्त शुल्क में एक यूनिट लीडर का वारंट शुल्क सम्मिलित है। सहायक यूनिट लीडर हेतु पृथक से रुपए 100/- प्रति की दर से अधिकतम चार सहायक लीडर के वारंट एक क्रू/टीम के सापेक्ष निर्गत हो सकते हैं।

(दिनांक 01 अप्रैल 2019 से प्रभावी)

- (1) क्रू/टीम पंजीकरण शुल्क - कुल रुपए 780.00 (रुपए 629/- प्रादेशिक अंश)
(प्रथम बार देय) (रुपए 151/- जिला संस्था अंश)
- (2) क्रू/टीम नवीनीकरण शुल्क - कुल रुपए 730.00 (रुपए 604/- प्रादेशिक अंश)
(पंजीकरण वर्ष के बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष में देय) (रुपए 126/- जिला संस्था अंश)

नोट : उपरोक्त शुल्क में एक यूनिट लीडर का वारंट शुल्क सम्मिलित है। सहायक यूनिट लीडर हेतु पृथक से रुपए 100/- प्रति की दर से अधिकतम चार सहायक लीडर के वारंट एक क्रू/टीम के सापेक्ष निर्गत हो सकते हैं।

यूनिट पंजीकृत होने के लाभ

1. बिना यूनिट पंजीकृत कराये कब/बुलबुल,स्का0/गा0,रोवर/रेजर को कोई वैधानिकता प्राप्त नहीं हो पायेगी।
2. योजना के क्रियान्वयन के लिए यूनिट का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
3. यूनिट लीडर का कमबद्ध प्रशिक्षण के लिए यूनिट का पंजीकरण अनिवार्य है।
4. बच्चों के कमबद्ध प्रशिक्षण के लिए यूनिट पंजीकृत होना अनिवार्य है।
5. यूनिट पंजीकरण होने से विद्यालय/जनपद/प्रदेश/राष्ट्रीय स्तर/ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक अन्तः सम्बन्ध स्पष्ट होता है।
6. कार्य को व्यवहारिक ढंग से सम्पादित होने के लिए यूनिट का पंजीकरण होना अनिवार्य है। यूनिट पंजीकृत होने के पश्चात् स्काउट/गाइड रोवर रेजर को निम्नवत् अवसर प्रदान हो सकेगे।

रोवर/रेंजर्स के अन्य कार्यक्रम

- उपराष्ट्रपति पुरस्कार
- साहसिक अभियान
- उद्देश्यपूर्ण यात्रा (प्राकृतिक)
- आपदा प्रबन्धन
- खोज एवं बचाव
- यातायात नियंत्रण
- प्राथमिक सहायता
- हस्त कौशल
 - सांस्कृतिक चेतना अभिवृद्धि
 - राष्ट्रीय भावात्मक एकता से जुड़े कार्यक्रम
 - सेवा शिविरो का आयोजन


संगठनात्मक स्वरूप

रोवर/रेंजर की एक यूनिट में न्यूनतम 8 अधिकतम 24 सदस्य (पृथक - पृथक) होते हैं, जो एक यूनिट लीडर जिन्हे रोवर स्काउट लीडर/रेजर लीडर कहते हैं, के नेतृत्व में कार्य करते हैं।

प्रत्येक यूनिट में यूनिट लीडर के सहयोग हेतु चार सहायक यूनिट लीडर (पृथक - पृथक) हो सकते हैं।

रोवर/रेंजर विंग में यूनिट लीडर की आयु न्यूनतम 25 वर्ष, सहायक यूनिट लीडर की आयु 21 वर्ष, शैक्षिक योग्यता स्नातक की होती है।

यूनिट लीडर का प्रगतिशील प्रशिक्षण



प्रत्येक चार वर्ष के भीतर रि-ऑरिएन्टेशन करना एवं न्यूनतम दो वयस्क शिविर का संचालन करना अनिवार्य है।

रोवर / रेंजर कार्यक्रम

उम्र - न्यूनतम 15 वर्ष, अधिकतम 25 वर्ष

विकास हेतु कार्यक्रम

15 वर्ष की उम्र से- रोवर/रेंजर आकांक्षी
से
25 वर्ष की उम्र तीन माह के प्रशिक्षण के पश्चात् के पश्चात्

दीक्षा सस्कार

छः माह बाद

निपुण प्रशिक्षण

नौ माह बाद

राज्य पुरस्कार (रोवर/रेंजर)

एक वर्ष बाद

राष्ट्रपति (रोवर/रेंजर)

25 वर्ष से 35 वर्ष तक - रोवर/रेंजर (सेवा में)

- समाज सेवा के क्षेत्र में संस्था के नैतिक कार्यों में इस प्रकार सहयोग करना जिससे इनका स्वयं के व्यक्तित्व का स्थायीकरण हो तथा आर्थिक रूप से सबल हो।